

प्रारूप- बारह

[नियम 16(1) देखिये]

धारा 23-क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विकास योजना में उपांतरण हेतु

आवेदन प्ररूप

प्रति,

संचालक

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

मैं/हम जो निम्नलिखित वर्णित भूमि के अधिकारिक भू-स्वामी/संयुक्त स्वामी हैं, धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विकास योजना में उपांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ /करते हैं:-

1. उपांतरण हेतु आवेदित भूमि का विवरण:-
 - (क) जिला
 - (ख) तहसील
 - (ग) ग्राम
 - (घ) खसरा नम्बर एवं प्रत्येक का रकबा
 - (ङ) सम्पूर्ण क्षेत्र हेक्टेयर में
2. भू-स्वामी (यों) का विवरण:-
 - (क) भू-स्वामी (यों) का नाम
 - (ख) डाक का पता
 - (ग) ई-मेल का पता
 - (घ) दूरभाष नंबर
 - (ङ) मोबाईल नंबर
 - (च) फैक्स नंबर
3. वर्तमान प्रावधान/विकास योजना में भूमि उपयोग
4. चाहा गया उपांतरण/भूमि उपयोग
5. दस्तावेज तीन प्रतियों में (स्वप्रमाणित) परिशिष्ट में सूचीबद्ध अनुसार संलग्न है.
6. मैं/हम नियम 16 के उप-नियम(12) के अंतर्गत उद्ग्रहण की राशि कर जमा कराने तथा उपांतरण के संबंध में अधिरोपित की जाने वाली शर्तों का पालन करने हेतु तैयार हैं.

संलग्न: उपरोक्तानुसार

दिनांक.....

भू-स्वामी (यों) के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

परिशिष्ट

दस्तावेजों की सूची

[धारा 23—क की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न करने हेतु]

निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न होंगे:—

1. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज—
 - (क) अद्यतन खसरा पॉचसाला पी—II प्ररूप (प्रमाणित)
 - (ख) जहाँ आवेदित भूमि संयुक्त रूप से धारित हो वहाँ आवेदन किसी एक भू स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें भू उपयोग में परिवर्तन हेतु वर्तमान भू—स्वामी की सहमति हो। (यदि आवेदक स्वामी न हों)
 - (ग) यदि परियोजना प्रस्ताव का संगठन/संकाय/संयुक्त उद्यम जोखिम में है, तो इसके लिये आवश्यक विधिक दस्तावेज संलग्न किये जायें।
2. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी किया गया भूमि उपयोग प्रमाणपत्र।
3. भूमि का विवरण—
 - (क) प्रश्नगत भूमि का सर्वेक्षण क्रमांक दर्शाते हुये खसरा योजना और सभी तरफ की ओर भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के भीतर आने वाले लगे हुए खसरा नम्बर भी [(प्रश्नगत भूमि, लाल रंग से दर्शाई (जानी चाहिये)]
 - (ख) प्रश्नगत भूमि, मुख्य पहुँच मार्ग (विद्यमान एवं प्रस्तावित), महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, जल निकाय तथा भूमि के आसपास विद्यमान उपयोग को उपदर्शित करते हुए रेखांक
 - (ग) सर्वेक्षण योजना का मापमान 1:500 से 1:2000
 - (घ) सर्वेक्षण योजना प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, स्वाभाविक लक्षण जैसे नाला, कुण्ड, वृक्ष एवं उतार, दो मीटर के अंतराल पर कंटूर योजना, बिजली की लाईन एवं बिजली/दूरभाष के खम्बों की जगह एवं ऐसे लक्षण, जिनका समन्वय किया जाना आवश्यक हो, दर्शाये जाए।
4. सामान्य परियोजना प्रतिवेदन— भूमि स्वामित्व, अवस्थिति/स्थल योजना, विकास प्रस्ताव/अभिन्यास (शहरी योजना/यातायात योजना/पर्यावरण योजना) प्रस्तावित इमारतों के रेखाचित्र, अधोसंरचनात्मक योजना—जैसे जल प्रदाय, मल वहन, विद्युतीकरण, जलनिकास, अग्नि सुरक्षा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कचरे का निपटारा, उपचार संयंत्र (जल/मलवहन/कचरा) खराब पानी का पुनः चक्रण।
5. प्रस्तावित विकास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपाय।
6. प्रस्तावित विकास के फलस्वरूप रोजगार सृजन, लोक सुविधाओं में वृद्धि, क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रस्तावित उपयोग से हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार को दर्शित करने वाला प्रतिवेदन।
7. परियोजना लागत का प्राक्कलन।
8. विद्यमान बाह्य अधोसंरचना जैसे—सड़क, जल प्रदाय, मलवहन आदि के संदर्भ में उन्नयन की लागत, विद्यमान बाह्य अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुधार का जो कार्य आवेदक द्वारा कराया जावेगा उसे स्पष्टतः दर्शाया जावे। आवेदक को यह भी दर्शाना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तावित विकास प्रस्ताव किन मानकों एवं मापदण्डों पर आधारित है उदाहरणस्वरूप मार्ग निर्माण हेतु इंडियन रोड कांग्रेस के मानक आदि।

9. वित्तीय प्रबंधन एवं निवेश की योजना एवं परियोजना के पूर्ण होने का समयबद्ध कार्यक्रम।
10. क्रियान्वयन के चरण।
11. भूमि स्वामी का इस आशय का शपथ-पत्र कि उसे अन्य सह भू-स्वामियों द्वारा प्रस्तावित उपांतरण आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है एवं इस आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त विवरण तथा दस्तावेज सत्य हैं।
12. विहित शुल्क **मुख्य शीर्ष-0217 नगरीय विकास योजना, नगर तथा ग्राम निवेश में चालान** सहित जमा कर उसकी मूल प्रति अथवा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जायेगा।

भू-स्वामी (यों) के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पता.....

.....